



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1634]
No. 1634]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2012/भाद्र 1, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2012/BHADRA 1, 1934

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2012

का.आ. 1957(अ).—केंद्रीय सरकार, खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (1) के साथ पठित, खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 (2007 का 11) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, क्रिकेट के संबंध में राष्ट्रीय महत्व की खेल घटनाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करती है :—

- (1) भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा खेले गए सभी अधिकृत एक दिवसीय और बीस-20 मैच और ऐसे टेस्ट मैच, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अल्पधिक लोकहित के समझे जाएं।
- (2) पुरुष विश्व कप और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल चैम्पियनशिप ट्राफी के सेमीफाइनल और फाइनल।

[फा. सं. 16/1/2012-बी.पी. एंड एल.]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND
BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2012

S.O. 1957(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (1) of Section 2 of the Sports Broadcasting Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharti) Act, 2007 (11 of 2007), read with sub-rule (1) of rule 6 of the Sports Broadcast Signals (Mandatory Sharing with Prasar Bharti) Rules, 2007, the Central Government hereby notifies the sporting events of national importance with respect to cricket, as follows :—

- (1) All official One-Day and Twenty-20 matches played by the Indian Men's Cricket Team and such Test matches as are considered to be of high public interest by the Central Government.
- (2) Semi-finals and finals of Men's World Cup and International Cricket Council Championship Trophy.

[F. No. 16/1/2012-BP&I.]

SUPRIYA SAHU, Jr. Secy.